रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1959] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 2018/ज्येष्ठ 8, 1940
No. 1959] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 2018/JYAISTHA 8, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2018

का.आ. 2172(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 319 (अ), तारीख 7 मई, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के सिवा उक्त अधिसूचना में किए गए उपबंधों के अनुसार अरावली श्रृंखला के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कुछ प्रक्रियाएं और कार्यकलाप संचालित करने पर प्रतिबंध लगाया था;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1189 (अ) तारीख 29 नवम्बर, 1999 द्वारा उक्त अधिसूचना द्वारा उसे प्रदत्त उपर्युक्त शक्तियों को हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने 5 हेक्टेयर से अधिक खनन पट्टा क्षेत्रफल में अंतर्ग्रस्त प्रमुख खनिजों के लिए खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने की एकरूप प्रक्रिया अपनाने की दृष्टि से अरावली श्रृंखला के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में खनन कार्यकलापों को विनियमित करने हेतु भारत सरकार के सं. का.आ.319 (अ), तारीख 7 मई, 1992 द्वारा प्रकाशित अरावली अधिसूचना के साथ भारत सरकार सं. का. आ. 60 (अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 1994 कहा गया है) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के उपबंधों को एकीकृत किया था;

और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ईआईए अधिसूचना कहा गया है) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख

14 सितम्बर, 2006 जिसके द्वारा ईआईए अधिसूचना, 1994 को अधिक्रांत किया गया था, अनुसूची में शामिल की गई सभी परियोजनाओं या कार्यकलापों, जिनमें विद्यमान परियोजनाओं या कार्यकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा खनन कार्य सहित उत्पाद मिक्स में परिवर्तन शामिल हैं, के लिए पहले ही पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा को अधिदेशित किया गया था;

और, दीपक कुमार आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आदि के मामले में 2009 की स्पेशल लीव पेटिशन (सिविल) सं. 19628-19629 में 2011 की आई.ए सं. 12-13 में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 27 फरवरी, 2012 के आदेश के अनुसरण में, लघु खनिजों के खनन के लिए अब पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है तथा केन्द्रीय सरकार खनन पट्टा के आकार पर विचार किए बिना सभी खनिजों (प्रमुख और गौण) के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति को अनिवार्य करते हुए अधिसूचना सं.का.आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016 प्रकाशित किया है;

और, सभी खनन पट्टा धारकों के लिए केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विशेषज्ञ आकलन समितियों, राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति तथा जिला स्तर पर जिला स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति की सिफारिशों के आधार पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है;

और, केन्द्रीय सरकार, आगे भी प्रमुख और गौण खनिजों की खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में एकरूपता कायम करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 को अरावली अधिसूचना सं. का.आ. 319 (अ), तारीख 7 मई, 1992 के साथ एकीकृत करने का विचार करती है;

और, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध किया गया है कि जब कभी भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को समाप्त कर सकती है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 319 (अ), तारीख 7 मई, 1992 की में संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को समाप्त करना जनहित में है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 319 (अ), तारीख 7 मई, 1992 में, पैरा 1 में खंड (ii) लोप किया जाएगा।

[फा.सं. जैड-11013/64/2017-आईए-II (एम)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, आसाधारण में सं.का.आ. 319 (अ) द्वारा तारीख 7 मई, 1992 को प्रकाशित किया गया था तत्पश्चात् सं.का.आ. 1189 (अ), तारीख 29 नवम्बर, 1999 और का.आ. 248 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2003 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2018

S.O. 2172(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O.319(E), dated the 7th May, 1992 (herein referred to as the said notification) issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (herein referred to as the said Act) read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (herein referred to as the said rules), the Central Government had imposed prohibitions on carrying out certain processes and operations in the specified areas of Aravalli range as provided in the said notification, except with prior permission of the Central Government;

And whereas, the Central Government had delegated the aforesaid powers conferred on it by the said notification, to the State Governments of Haryana and Rajasthan vide notification of the Government of India in the Erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1189(E), dated the 29th November, 1999;

And whereas, the Central Government with a view to adopt uniform procedure for grant of environmental clearance to mining projects for major minerals involving mining lease areas of more than five hectares had integrated the provisions of the notification of the Government of India published in the Gazette of India vide number S.O.60(E), dated the 27th January, 1994 (hereafter referred as the EIA Notification, 1994) with the Aravalli Notification published in the Gazette of India, vide number S.O.319(E), dated the 7th May, 1992 for regulation of mining activities in the specified areas of Aravalli range;

And whereas, the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest Notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said EIA Notification, 2006) which superseded the EIA Notification, 1994 had mandated the requirement of prior environmental clearance for all projects or activities included in the Schedule, including expansion and modernisation of existing projects or activities and change in product mix including mining operations;

And whereas, pursuant to the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 27th February, 2012 in I.A. No.12-13 of 2011 in Special Leave Petition (Civil) No.19628-19629 of 2009, in the matter of Deepak Kumar etc. Vs. State of Haryana and Others etc., prior environmental clearance has now become mandatory for mining of minor minerals and the Central Government has published notification number S.O.141(E), dated the 15th January, 2016 making prior environment clearance mandatory for all minerals (major as well as minor) irrespective of size of the mine lease;

And whereas, all mine lease holders are required to obtain prior environment clearance based on the recommendations of the Expert Appraisal Committees at the Central Government, State level Expert Appraisal Committee at the State or Union territory level and District level Expert Appraisal Committee at the district level;

And whereas, the Central Government opines to further integrate the provisions of notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 to maintain uniformity in the procedure for grant of environmental clearance to mining projects of major as well as minor minerals with the Aravalli Notification number S.O.319(E), dated the 7th May, 1992;

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said rules provides that, whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the notifications of the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 319(E), dated the 7th May, 1992.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the aforesaid notification with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette namely:

In the notification of the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 319(E), dated the 7th May, 1992, in paragraph 1, clause (ii), shall be omitted.

[F.No Z-11013/64/2017-IA-II (M)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note:— The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O.319(E) dated the 7th May, 1992 and subsequently amended vide number S.O. 1189(E) dated the 29th November, 1999 and S.O.248(E) dated 28th February, 2003.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.31 19:02:15 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.